



दिव्यांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य के अवसर

भारतीय पुनर्वास परिषद् के अंतर्गत पुनर्वास व्यवसायियों / कार्मिकों की श्रेणियाँ

- श्रवण विज्ञानी और वाणी चिकित्सक
- नैदानिक मनोविज्ञानी
- श्रवण व कर्ण उपकरण तकनीशियन
- पुनर्वास इंजीनियर व तकनीशियन
- दिव्यांगजनों के शिक्षण व प्रशिक्षण हेतु विशेष शिक्षक
- दिव्यांगजनो से संबंधित व्यवसायिक परामर्शदाता, रोजगार अधिकारी तथा स्थापना अधिकारी
- बहुउद्देश्यीय पुनर्वास चिकित्सक और तकनीशियन
- वाणी एवं श्रवण तकनीशियन
- पुनर्वास मनोविज्ञानी
- पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता
- मानसिक मंदता में पुनर्वास चिकित्सक
- अनुकूलन एवं गति विशेषज्ञ
- समुदाय आधारित पुनर्वास व्यवसायी
- पुनर्वास परामर्शदाता / प्रशासक
- प्रोस्थेटिस्ट और आर्थोटिस्ट
- पुनर्वास कार्यशाला प्रबंधक

परिषद् ने प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर, एम.फिल और साई.डी स्तरों पर अनेक पाठ्यक्रम तैयार किये हैं। ये पाठ्यक्रम देश भर में सरकारी संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों/ चिकित्सा महाविद्यालयों/ संस्थानों सहित संचालित किये जा रहे हैं। आरसीआई अनुमोदित संस्थानों और आरसीआई अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिये लिंक नीचे दिये गये हैं।

आरसीआई अनुमोदित संस्थानों के लिये जो नियमित पद्धति के जरिये पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं	www.rehabcouncil.nic.in
आरसीआई अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिये	www.rehabcouncil.nic.in

शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु नए एवं विस्तार प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल 22 जून, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 के बीच (सायं 05:00 बजे तक) खुला रहेगा। विवरण के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् की वेबसाइट: www.rehabcouncil.nic.in पर लॉगऑन करें।

नोट: आरसीआई अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 13 के अनुसार, "पुनर्वास व्यावसायिक, जिस के पास मान्यता प्राप्त पुनर्वास अर्हता है और केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में नामांकित है, के अलावा कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी पुनर्वास व्यावसायिक के तौर पर कार्य नहीं कर सकता"। अधिनियम में दिव्यांगजनो को सेवाएं देने वाले अयोग्य व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिये कृपया सदस्य सचिव, आरसीआई से संपर्क करें।



भारतीय पुनर्वास परिषद्

भारतीय पुनर्वास परिषद्

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, के अधीन एक सांविधिक निकाय),
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

बी-22, कृतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016

फोन: 011-26534287, 26532408, ई-मेल: rehabstd@nde.vsnl.net.in,

वेबसाइट: www.rehabcouncil.nic.in